टिप्पणी

सब-ओवरसियर के रूप में नियुक्ति -- अर्जीदार के पास पद के लिए विहित अर्हता नहीं थी -- कथित पद के लिए अर्जीदार की पदोन्नति, आवश्यक अर्हता न होने के कारण विभागीय पदोन्नति कमेटी द्वारा रद्द की गई -- कोई गलती नहीं की गई और इस मामले में किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। **मुन्नालाल बैलैया बनाम नगरपालिक निगम, कटनी और अन्य**, 2013 (2) MPLJ 49 = 2013 (1) JLJ 281.

जहाँ किसी शिक्षक की भर्ती की गई हो और प्रशासक के आदेश द्वारा उसे स्थायी कर दिया गया हो तो परिषद् ऐसे पद को कम नहीं कर सकती। **विमला बनाम नगरपालिका लहार, 1981 रा.नि. 292।**

7. पद समीकरण -- प्रत्येक नगरपालिका परिषद् के विद्यमान पदों को अनुसूची चार में अनुसूची तीन में उल्लिखित पदों से समीकृत किया जाएगा। राज्य शासन को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् दिए गए समीकरण में जो कि अनुसूची चार में दर्शाया गया है, संशोधन, घटाने अथवा परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त होगी। अनुसूची चार के अनुसार समीकृत पदों के अतिरिक्त पदों के नाम तब तक वही रहेंगे, जब तक कि राज्य शासन द्वारा उनके नाम परिवर्तित न कर दिए जाएँ।

8. संविलयन -- म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 94 की उपधारा (4) में उल्लिखित पदों तथा इस धारा के अन्तर्गत उल्लिखित किए जाने वाले अन्य पदों और उक्त अधिनियम की धारा 87(1) तथा 88(1) में उल्लिखित मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, स्वास्थ्य पदाधिकारी तथा इंजीनियर के पदों को छोड़, ऐसे किसी भी पद पर, जिनका नियम 7 के अनुसार समीकरण कर दिया गया हो, कार्य कर रहे कर्मचारियों का उनके संभावित पदों पर निम्नानुसार संविलयन किया जाएगा :-

(एक) जिन कर्मचारियों ने अपने वर्तमान पदों पर कम से कम 5 वर्ष तक कार्य किया हो उनका संविलयन उन पदों पर किया जाएगा जिनसे उनके वर्तमान पद नियम 7 के अनुसार समीकृत किए गए हों, भले ही वे ऐसे पदों के लिए अनुसूची तीन में निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखते हों या न रखते हों।

(दो) जिन कर्मचारियों ने अपने वर्तमान पदों पर पाँच वर्ष से कम अवधि तक कार्य किया हो, परन्तु जिनके पास नियम 7 के अधीन उनके वर्तमान पदों से समीकृत किए गए पदों के लिए अनुसूची तीन में निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ हों, उन्हें ऐसे पदों पर संविलयित किया जाएगा।

(तीन) उपर्युक्त उपनियम (1) तथा (2) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के मामलों की सूक्ष्म जाँच जिला चयन समिति द्वारा की जाएगी, यदि समिति ऐसे कर्मचारियों को उन पदों के लिए उपयुक्त समझे जिनसे उनके वर्तमान पदों को समीकृत किया गया हो, तो उन्हें ऐसे पदों पर संविलयित कर लिया जाएगा। यदि ऐसे कर्मचारी समिति द्वारा उपयुक्त न समझे जाएं तो उन्हें ऐसे अन्य पदों पर संविलयित कर लिया जाएगा जिनके लिए समिति उन्हें उपयुक्त समझे तथापि ऐसे कर्मचारियों का वर्तमान वेतन तथा वर्तमान वेतनमान संरक्षित रहेगा।

(चार) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपनी नगरपालिका परिषद् के प्रत्येक कर्मचारी को उसके स्थानापन्न तथा मूल पद के सम्बन्ध में इन नियमों से संलग्न फार्म अनुसूची पाँच में पृथक्-पृथक् संविलयन आदेश भेजेगा। कर्मचारी द्वारा निर्धारित फार्म में संविलयन आदेश प्राप्ति की तारीख सहित अभिस्वीकृति मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा अपनी निजी अभिरक्षा में रखी जाएगी।

टिप्पणी

पदोन्नति के माध्यम से किसी कर्मचारी को नियुक्त करने की शक्ति नगर परिषद् में निहित है -- किसी भी कर्मचारी की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार के पास कोई शक्ति निहित नहीं है -- नगरपालिका अधिनियम की धारा 94(7) राज्य सरकार को अन्य नगर परिषद् के कर्मचारी को आमेलित करने का निर्देश नहीं देती। **मुन्ना लाल करोसिया बनाम म.प्र. राज्य और अन्य**, 2010 (1) MPHT 360 = 2009 (3) MPLJ 697 = 2009 (3) JLJ 426.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग